

WitnessNo.....08.....For.अभि० सा०Deposition
Taken the...04.04.2026...day of..शनिवार. Witness's apparent age 31 वर्ष
States of affirmation.....शपथ पूर्वक.....My name is..डॉ. निकिता धृतलहरे
S/W/of.... श्री नंदकिशोर कोशलेOccupation.....लैब इंजार्ज
Address जिला अस्पताल गौरेला छ०ग०

साक्ष्य प्रारंभ समय – 12.51

मुख्य परीक्षण द्वारा कु. सुचिता सिंह ए०डी०पी०ओ० वास्ते अभियोजन।

01- मैं दिनांक 27.10.2021 को जिला अस्पताल गौरेला में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ थी ।

02- उक्त पदस्थापना के दौरान दिनांक 27.10.2021 को आहत मनीराम यादव पिता कुंवर सिंह यादव, निवासी ग्राम अमारू, थाना पेण्ड्रा को आरक्षक अश्वेन्द्र क्रं. 124 के द्वारा मुलाहिजा हेतु मेरे समक्ष लाया गया। आहत के द्वारा उसके उपर हमला होने की बात बतायी गई मुलाहिजा करने पर निम्नलिखित चोटें पाई –

I. आहत को सिर घाव होना पाया गया था एवं आहत के द्वारा सिर पर दर्द होना व्यक्त किया गया था ।

II. आहत के सिर पर चोट जिसका आकार 5 X 1 X 0.5 से.मी. पाया गया जिससे खून निकल रहा था ।

अभिमत- आहत को मैंने एक्स रे की सलाह दी थी। आहत को आई चोटों की प्रकृति एक्स-रे के बाद बताने के लिये अभिमत दी हूँ ।

03. मेरी मुलाहिजा रिपोर्ट प्र०पी० 10 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री दिवान सिंह वास्ते आरोपीगण

04- यह कहना सही है कि यदि कोई व्यक्ति दौड़ते हुये बिजली के पोल (खम्भे) से

टकराये तो आहत को आई चोंटे आ सकती है । यह कहना सही है कि आहत की चोंट 48 घण्टे पूर्व के आना प्रतीत हो रहा था । यह कहना सही है कि आहत के शरीर पर अन्य जगह किसी प्रकार की चोंटे नहीं पाया गया । यह कहना सही है कि मेरे द्वारा आहत को एक्स-रे कराने का सलाह देने के उपरांत उक्त आहत ने एक्स-रे कराया या नहीं, इस संबंध में मैं नहीं बता सकती । यह कहना सही है कि आहत एक्स-रे रिपोर्ट लेकर मेरे पास नहीं आया था ।

साक्ष्य समाप्त समय 01.05

गवाह को पढ़कर सुनाया गया।

सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(महेश बाबू साहू)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पेण्डारोड

रा०जि०गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ०ग०)

(महेश बाबू साहू)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पेण्डारोड

रा०जि०गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही (छ०ग०)